# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ...अरनोद........

| क्रम हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.10.20 | पत्रावली पेश हुयी। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिसमें स्पष्ट तौर पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की आराजीयात् से लगती हुयी सरकारी जमीन में बने कदीमी रास्ते जिसको अप्रार्थीगण ने बन्द कर दिया है को खुलवाये जाने की राहत/अनुतोष चाहा है।<br>जबकि राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955 की धारा 251 क में स्पष्ट प्रावधान है कि -<br>" अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाइन बिछाना/नया मार्ग खोलना/विद्यमान मार्ग का विस्तार करना.....".<br>प्रार्थी ने ख.नं. 40, 139/45 एवं 46 किस्म कंकरोट जो कि राजकीय भूमि है, से कदीमी रास्ते को खुलवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष R.T. Act Sec 251 A में कवर नहीं होने से न्यायालय का समय जाया करना है अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाना उचित है।<br>प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार अरनोद को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सरकारी आराजीयात की मौका जाँच कर ~~सक्षम~~ CA आर.टी. एक्ट/एल.आर. एक्ट की सक्षम धाराओं के अध्यधीन कार्यवाही कर | |

लगा.....

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ....अरनोद....

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख हुक्म की तारीख |
|---|---|---|
| 13.10.XX | न्यायालय टाजा को 25 दिवस में अवगत करवाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] | |